[13/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 1514]

अता०प्र०क्र० 1514 दि० 13.2025
संबंधित जानकारी

परिशिष्ट – एक

लोक शिक्षण संचालनालय, म०प्र०
DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION, MADHYAPRADESH

गौतम नगर, भोपाल–462 021
Goutam Nagar, Bhopal-462 021
दूरभाष: 0755–2583660, फैक्स: 0755–2583651

क्रमांक / स्था–3 / सी–1 / 16 / 2015 / 1540 भोपाल दिनांक 04/09/15

/ / आदेश / /

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 3745 / 2005 (एस) में पारित आदेश दिनांक 13.12.2011 द्वारा श्री अनिल शर्मा एवं अन्य 38 सहायक शिक्षकों (श्री कमलेश कुशवाहा, श्री चन्द्रभूषण मिश्रा, श्री गणेश प्रसाद मेहरा, श्री कमलेश सेंगर, श्री दामोदर प्रसाद मेहरा, श्री जागेश्वरपुरी, कुमारी प्रभा मेहरा, श्री मनोज दुबे, श्री मंजूर खॉ अंसारी, श्री शंकर लाल गुर्जर, श्री राजेन्द्र चौरे, श्रीकांत सैनी, श्रीराम आशीष पाण्डे, श्रीमती राधा चकारे, श्रीमती कल्पना रिछारिया, श्रीमती शशि प्रभा चौधरी, श्रीमती कविता उपाध्याय, श्री संतोष कुमार अतुलकर, श्री सुरेश कुमार अतुलकर, श्री राकेश कुमार यादव, श्री राकेश कुमार दुबे, श्रीमती उषा पाराशर, श्रीमती आशा अग्रवाल, श्रीमती सरोज उपाध्याय, श्रीमती संध्या निगम, श्रीमती जयश्री श्रीवास्तव, श्रीमती पूनम शर्मा, श्री पी०एन०दुबे, श्री मुकेश स्थापक, श्री अशोक रारा, श्री महेन्द्र सिंह रघुवंशी, श्रीमती मालती बेस, श्री उमा शंकर दुबे, श्री राजेश सूर्यवंशी, श्रीमती उषा डुमार, श्री जीवन लाल धुर्वे, श्री बेनी प्रसाद मेहर एवं श्री मदन लाल सोनवंशी) विरूद्ध म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत सिविल अपील क्रमांक 77 / 95 द्वारा अरूण तिवारी एवं अन्य विरूद्ध मानसेवी जिला शिक्षा संघ में पारित आदेश दिनांक 01 दिसम्बर 1997 के अनुसार नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण (वरिष्ठता का लाभ) पात्रतानुसार दिये जाने के निर्देश दिये गये है। प्रकरण का परीक्षण किया गया परीक्षणोपरान्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

1. यह कि म०प्र०शासन स्कूल शिक्षा विभाग का अर्द्धशास.पत्र क्रमांक एफ–1 / 28 / 93 / 20–1 दिनांक 05.08.1993 के द्वारा ऑप्रेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तृतीय एवं चतुर्थ चरणों के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले सहायक शिक्षक के पदों की पूर्ति के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये थे।
2. म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ–1 / 28 / 93 / 20–1 दिनांक 10.09.1993 के द्वारा सहायक शिक्षक / शिक्षकों के पदों पर चयनित उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे।
3. म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ–1 / बीस / 93 / 20–1 दिनांक 05 अगस्त 1993 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में उप संचालक शिक्षा होशंगाबाद द्वारा आदेश क्रमांक 703 / स्था / 1 / ओ.बी.बी. / नियु. / सहा.शि. / 93 होशंगाबाद दिनांक 15 सितम्बर 1993 द्वारा शिक्षकों का चयन किया जाकर नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

4. म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ–18/535/93/ए–1/20 भोपाल दिनांक 26.07.1994 एवं संचालनालय लोक शिक्षण म0प्र0 भोपाल के पृष्ठांकन कमांक स्था/3/ डी/94/1597/भोपाल दिनांक 27.08.94 दर्शाये अनुसार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत सहायक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में माननीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.1994 के पालन में उप संचालक शिक्षा जिला होशंगाबाद द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तृतीय एवं चतुर्थ चरण में सहायक शिक्षकों के पदों पर की गई नियुक्तियों को उप संचालक, शिक्षा जिला होशंगाबाद के आदेश कमांक 1125/स्था/1/ओ.बी./94 होशंगाबाद दिनांक 14 सितम्बर 1994 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई।
5. यह कि म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ–18/535/93/ए–1/20 दिनांक 20.03.96 एवं लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र कमांक स्था–3/डी/56/95/917 दिनांक 30.03.96 द्वारा प्राप्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत सहायक शिक्षक की भर्ती के संबंध में विशेष अनुमति याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 04.01.95 द्वारा मान. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.94 स्थगित किये जाने के कारण मान. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन शिक्षकों को कार्यालय उप संचालक शिक्षा के आदेश कमांक 703/ स्था/1/ओ.बी./नियु./स. शि./93 दिनांक 15.09.93 द्वारा 1200/–रूपये प्रतिमाह निश्चित वेतन पर इस आदेश में उल्लेखित शर्तो पर की गई थी एवं जिनकी सेवाऍ इस कार्यालय के आदेश कमांक 1125/स्था/1/ओ.बी./94 दिनांक 14.09.94 द्वारा समाप्त कर दी गई थी। तत्पश्चात् उक्त के अनुकम में कार्यालय उप संचालक शिक्षा होशंगाबाद के आदेश कमांक स्था/1/ओ.बी./स. शि./नियु./94–95/454 दिनांक 05.04.1995 के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुनः सेवा में लिया गया।
6. उल्लेखनीय है कि मान. उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत सिविल अपील कमांक 77/95 में पारित आदेश दिनांक 01.12.1997 में शासन द्वारा चयन प्रकिया को वैध ठहराते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये स्थगन तक जिन शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है उनकी नियुक्ति आदेश को वैध मानते हुए शासन के निरस्तगी के आदेश को औचित्यहीन बताया है और चयन प्रकिया को यथावत रखते हुए ट्रिब्युनल के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं मान. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में याचिकाकर्ताओं की म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञापन कमांक एफ-18/535/93/ए-1/20 भोपाल दिनांक 26.07.94 के कम में नियुक्ति निरस्तगी आदेश से एवं मान. न्यायालयीन निर्णय उपरान्त म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञापन कमांक एफ-18/535/93/ए-1/20 भोपाल दिनांक 20.03.1995 के द्वारा पुनः सेवा में लिये जाने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक की अवधि, सेवा अवधि मान्य की जाती है, किन्तु सेवा से पृथक होने के कारण मूलभूत नियम 17 के अनुसार सेवा निरस्तगी आदेश से कार्यभार ग्रहण करने की अवधि तक "काम नहीं दाम नही" के आधार पर वेतन भत्तों का लाभ प्रदान नही किया जायेगा।

(डी0डी0अग्रवाल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ. कमांक/स्था-3/सी-1/16/2015/1541
भोपाल दिनांक 04/09/15

प्रतिलिपिः-

1. महाधिवक्ता मान. उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म0प्र0 भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद।
6. सयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन भोपाल संभाग भोपाल।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद।
8. संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ जबलपुर।
9. जिला कोषालय अधिकारी, होशंगाबाद।
10. सहायक संचालक, विधि स्थानीय लोक शिक्षण म0प्र0भोपाल।
11. जिला शिक्षा अधिकारी, होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मान. न्यायालयीन प्रकरण का पालन कर पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।
12. संबंधित ....

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (स्था-1)

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश